राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 02/2012/अजमेर.

मधु माहेश्वरी पत्नी श्री ओ. पी. माहेश्वरी,
निवासी 434/10, नवीन निवास बापू नगर, अजमेर. .....प्रार्थिया.

बनाम

1. कलेक्टर (मुद्रांक) वृत–अजमेर.
2. उप–पंजीयक–द्वितीय, अजमेर. .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्रीमती प्रियंका माहेश्वरी, अभिभाषक .....प्रार्थिया की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/02/2014

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थिया द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–अजमेर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 211/10 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.4.2011 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत तहत प्रस्तुत की गयी है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त आदेश से उप पंजीयक–द्वितीय, अजमेर द्वारा दायर रेफरेंस को स्वीकार करते हुए प्रार्थिया से कमी मुद्रांक शुल्क व शास्ति के रूप में रूपये 10,000/– वसूल करने के निर्देश दिये हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रीको अजमेर द्वारा पालरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर स्थित भूखण्ड संख्या एफ–294 क्षेत्रफल 1950 वर्गमीटर प्रार्थिया को आवंटित करते हुए 99 वर्षीय

य लीजडीड प्रार्थिया के पक्ष में दिनांक 22.04.2010 को निष्पादित की जाकर उप–पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत की गयी। उप–पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रूपये 17,55,830/– निर्धारित करते हुए मुद्रांक शुल्क रूपये 35,130/– एवं पंजीयन शुल्क रूपये 17,560/– वसूल की जाकर दस्तावेज पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उप–पंजीयक द्वारा मौका निरीक्षण करने के उपरान्त प्रश्नगत सम्पत्ति औद्योगिक इकाई को आवंटित होने से इस पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता मानते हुए कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 8770/– जमा कराने हेतु धारा 54 के तहत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रार्थिया द्वारा वांछित कमी मुद्रांक शुल्क जमा नहीं कराने पर उप–पंजीयक ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के तहत कमी मालियत का रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया।

लगातार.....2

कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थिया को सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिसों की पालना में प्रार्थिया के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए निगरानी अधीन आदेश दिनांक 18.4.2011 से रेफरेंस स्वीकार करते हुए प्रार्थिया से कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 8770/— मय शास्ति रूपये 1230/— सहित कुल रूपये 10,000/— वसूल किये जाने के आदेश दिये गये। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थिया द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत सम्पत्ति महिला उद्यमी को आवंटित होने से इस पर 4 प्रतिशत की दर से ही मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है, जो कि वक्त पंजीयन अदा की जा चुकी है। इसके बावजूद उप—पंजीयक द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता मानते हुए तदनुसार रेफरेंस प्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अग्रिम कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने भी प्रार्थिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर रेफरेंस यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थिया के विरूद्ध कमी मुद्रांक शुल्क व शास्ति की मांग सृजित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। यह भी कथन किया कि उप—पंजीयक द्वारा दस्तावेज पंजीबद्ध कर लौटा दिये जाने के बाद ऑडिट आक्षेप के आधार पर उप—पंजीयक रेफरेंस पेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रकरण में थ्नदबजने वचिपबपव हो जाता है। तर्क के समर्थन में माननीय समन्वयपीठ के **निगरानी संख्या 369/2010/अजमेर राज्य सरकार बनाम मधु माहेश्वरी व अन्य के निर्णय दिनांक 22.12.2010** को उद्धरित किया है।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थिया द्वारा निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब बाबत यथेष्ट एवं संतोषप्रद कारणों का निगरानी के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र में उल्लेख किया जा चुका है। अतः निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जावे। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत सम्पत्ति एक फर्म, मैसर्स मधु टाईल्स के नाम से आवंटित होने से इस पर 5 प्रतिशत की दर से ही मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर उप—पंजीयक द्वारा विधि अनुसार रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार बावजूद सूचना प्रार्थिया की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कलेक्टर

लगातार.....3

(मुद्रांक) ने प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेंस स्वीकार किये जाने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है, जबकि वक्त पंजीयन उप–पंजीयक द्वारा लिपिकीय भूलवश 2 प्रतिशत की दर से ही मुद्रांक शुल्क वसूल की गयी है, एवं तदनुसार ही रेफरेंस में भी लिपिकीय भूलवश 5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की देयता अंकित करते हुए 2½ प्रतिशत की दर से गणना करते हुए राशि का अंकन किया गया है। अतः उक्त त्रुटि संशोधित करते हुए प्रार्थिया की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 18.4.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रीको द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति श्रीमती मधु माहेश्वरी पत्नी श्री ओ. पी. माहेश्वरी को मैसर्स मधु टाईल्स की स्थापना हेतु आवंटित की गयी है। मैसर्स मधु टाईल्स श्रीमती मधु माहेश्वरी की स्वत्वधारी (Proprietory) फर्म है। अतः प्रश्नगत सम्पत्ति निर्विवाद रूप से महिला उद्यमी को आवंटित होने से इस पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के क्रम में महिला क्रेता को दी जाने वाली छूट लागू होती है। ऐसी स्थिति में तत्समय प्रचलित मुद्रांक शुल्क की दर 4/5 प्रतिशत के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से ही मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उप–पंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार कर विधिक भूल की है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि उप–पंजीयक द्वारा दस्तावेजों के पंजीबद्ध कर लौटाने के पश्चात वह Functus officio हो जाता है तथा ऑडिट आक्षेप के आधार पर रेफरेंस प्रस्तुत करना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं रहता है। यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(1) अनुसार दस्तावेजों के पंजीबद्ध करने के पूर्व या पश्चात भी कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष रेफरेंस पेश कर सकता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित निर्णय में रेफरेंस देरी के कारण अस्वीकार किया गया है, न कि उप–पंजीयक को Functus officio होने के कारण।

लगातार.....4

पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि वक्त पंजीयन प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रूपये 17,55,830/– निर्धारित की जाकर इस पर मुद्रांक शुल्क रूपये 35,130/– की वसूली की गई है, जबकि 4 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की राशि रूपये 70,240/– होती है। इसी प्रकार उप–पंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेंस में भी 5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क के रूप में रूपये 43,900/– का अंकन किया गया है, जो 5 प्रतिशत ना होकर 2½ प्रतिशत राशि है। उक्त त्रुटि स्पष्ट रूप से लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है एवं रेकॉर्ड पर परिलक्षित भूल है।

प्रार्थिया द्वारा वक्त पंजीयन मुद्रांक शुल्क रूपये 35,130/– एवं कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने हेतु रूपये 5000/– की राशि जमा करवाई गई है, इस प्रकार प्रार्थिया से अवशेष मुद्रांक शुल्क की राशि रूपये 30,110/– वसूलनीय रहती है।

परिणामस्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि लिपिकीय त्रुटिवश प्रार्थिया से कम वसूल की गई मुद्रांक शुल्क की अवशेष राशि रूपये 30,110/– वसूल की जाने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
25/4/014